पाया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर अपीलकर्त्ता के जन वितरण विक्रेता का अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए उनसे कारण–पृच्छा की मांग की गई। कारण–पृच्छा में उनके द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा माह मई 2020 का राशन कार्डधारियों को वितरण किया गया है एवं कार्डधारियों द्वारा ही वितरण पंजी में हस्ताक्षर/टीप निशान लगाया है। इस दूकान से उनके पति को कोई सरोकार नहीं है। स्टॉक में 6.75 क्विंटल अधिक राशन पाया गया है। यह सिर्फ अनुमानित है इसका सही आकलन (वजन) नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता का अनुज्ञप्ति को रद्द किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उन्होनें आगे कहा है कि Trade Articles (Licenses unification) Order 1984 के अनुसार जिला आपूर्ति पदाधिकारी Licensing Authority नहीं है। Trade Articles (Licenses unification) Order 1984 के क्लाउज 27(C) के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी Licensing Authority है एवं उन्हें ही जनवितरण प्रणाली के विक्रेता को कारण–पृच्छा मांगने, दूकान निलंबित करने एवं अनुज्ञप्ति को रद्द करने का शक्ति प्रदत्त है। अतः जिला आपूर्ति पदधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेख है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम प्राणचक के 53 कार्डधारियों को माह मई 2020 का चावल विक्रेता के द्वारा नही दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चावल वितरण के समय कार्डधारियों के राशन कार्ड में विक्रेता के पति राजेश खिरहर द्वारा जबरन लिख दिया गया। माह मई 2020 के सामने वितरित अनाज के

साथ प्लस का चिन्ह् लगाकर अनाज का वितरण अंकित कर दिया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जांच के क्रम में 6.75 क्विंटल अधिक खाद्यान्न अवशेष पाया गया। अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल स्पष्टीकरण पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का मन्तव्य में कहा गया है कि विक्रेता द्वारा समर्पित बिन्दुओं का जवाब अपूर्ण है। उनके (विक्रेता) द्वारा इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि उनके द्वारा माह मई 2020 का चावल किन परिस्थिति में नहीं दिया गया है। मन्तव्य मे यह भी उल्लेख है कि ग्राम हरिणगोहाल एवं नकटी में भी एक माह का अनाज कार्डधारियों को वितरण नहीं किया गया है। इसी आधार पर अपीलकर्त्ता के जनवितरण प्रणाली के अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी Licensing Authority नहीं है एवं Licensing Authority को ही अनुज्ञप्ति को रद्द करने एवं निलंबन करने में सक्षम है। किन्तु झारखण्ड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग का अधिसूचना "झारखण्ड लक्षित जनवितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2019" के अनुसार जिला आपूर्ति पदाधिकारी उचित मूल्य दूकान की अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुज्ञापन पदाधिकारी हैं अधिसूचना के अनुसार नियंत्रण आदेशों के प्रावधानों को लागू करने के साथ–साथ जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य के विक्रेता को अनुज्ञप्ति निर्गत/स्वीकृत करने, पहचान पत्र निर्गत करने, अनुज्ञप्ति में वर्णित शर्त्तों, कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्व का पालन कराने, अनुज्ञप्ति निलंबित करने एवं अनुज्ञप्ति रद्द करने की शक्ति अनुज्ञपान पदाधिकारी में निहित रहेंगें।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता द्वारा कार्डधारियों के बीच अनाज वितरण में अनियमितताऐं बरते जाने के कारण जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्त्ता के अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है जो सही प्रतीत होता है। इस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारीज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

04/12/2020

उपायुक्त
दुमका।

04/12/2020

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील सं0– 06/2020–21

माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह द्वारा माच्छो देवी ..... अपीलकर्ता

बनाम्

राज्य सरकार .....उत्तरकारी

।। आदेश ।।

04 /12/2020 यह रे0मि0 (जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति) अपील वाद माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह द्वारा माच्छो देवी अध्यक्ष सा0 ताराजोरा, थाना जामा बनाम् झारखण्ड सरकार के बीच जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका के द्वारा पारित आदेश संख्या– 157/2020 ज्ञापांक 726/जि0आ0 दिनांक 21.07.2020 के विरूद्ध में दायर किया गया है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजात एवं अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल लिखित बहस का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जन वितरण प्रणाली का अनुज्ञप्ति संख्या– 24/2018 से प्राप्ति के पश्चात अपीलकर्त्ता नियमित एवं सुचारू रूप से बिना किसी शिकायत का दूकान का संचालन कर रहें थे। ग्राम प्राणचक के कुछ लोग प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से मिलकर अपीलकर्त्ता के जन वितरण प्रणाली दूकान के विरूद्ध यह प्रतिवेदन समर्पित करवाया गया कि ग्राम प्राणचक के 53 कार्डधारियों को माह मई 2020 में चावल का वितरण नहीं किया गया है जबकि विक्रेता सक्षम अधिकारी (प्रतिनियुक्ति अधिकृत व्यक्ति) के समक्ष कार्डधारियों के समक्ष राशन का वितरण किया गया है। उनपर यह भी आरोप है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के जांचोपरान्त 6.75 क्विंटल राशन अधिक